

FN.-230301003952011

(1)

विशेष प्रकरण क्रमांक 68/11डकैती

शा0पु0नयागांव वि0 विजय आदि

निर्णय दिनांक 17-01-2018

पीठासीन अधिकारी: डॉ0 कुलदीप जैन

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (डकैती) क्षेत्र क्रं.-1, भिण्ड (म0प्र0)

(पीठासीन अधिकारी-डॉ0 कुलदीप जैन)

विशेष प्रकरण क्रमांक: 68/2011 डकैती

संस्थापन दिनांक: 13-12-2011

फाइलिंग नंबर 230301003952011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र

नयागांव जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

सोनू पुत्र मोहन सिंह भदौरिया उम्र

25 वर्ष निवासी पार्क मोहल्ला, शिवाजी

नगर भिण्ड(म0प्र0)

.....अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा श्री जे0पी0 दीक्षित अति0 लोक अभियोजक।

अभियुक्त सोनू द्वारा श्री मयंक शर्मा अधिवक्ता।

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 17-01-2018 को घोषित किया गया)

1. उक्त अभियुक्त सोनू के विरुद्ध भा.द.सं की धारा 393/398 सहपठित धारा 34 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट विकल्प में भा.द.सं. की धारा 395/398 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 12-10-11 की रात 8:30 बजे मधूपुरा रोड मोहाण्ड से एक किलोमीटर आगे थाना नयागांव के डकैती प्रभावित क्षेत्र में, अपने सह आरोपियों के साथ एकराय होकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में कट्टा दिखाकर रुपये और सामान को ट्रक चालक परिवादी दिलीपसिंह और उसके साथी चन्द्रसिंह से लूटने का प्रयास करने विकल्प में कट्टा दिखाकर डकैती का प्रयत्न किया।
2. महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रकरण में सहअभियुक्त कल्लू, रामू एवं

नरेश, विजय उर्फ छोटू फरार हैं तथा कल्लू एवं रामू को दिनांक 24-08-2016, अभियुक्त नरेश को दिनांक 21-12-17 एवं अभियुक्त विजय सिंह उर्फ छोटू को दिनांक 17-01-18 को फरार घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हैं एवं सह अभियुक्त सुगमसिंह को विधि के प्रतिकूल बालक होने से उसे इस प्रकरण में दिनांक 12-03-15 को उन्मुक्त कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पृथक से रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7-81-बी-21 दिनांक 19 मई-1981 मध्यप्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश 1981 (1981 का संख्या-5) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय की सलाह से एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम-(2) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों की उक्त अनुसूची के कॉलम (3) के तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट डकैती प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में राजस्व जिला भिण्ड में मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम-1981 प्रभावशील है।

3. अभियोजन कथा संक्षिप्त: यह है कि अभिकथित घटना दिनांक 12-10-11 को फरियादी ट्रक क्रमांक यू.पी. 75 एम 0863 से चकर नगर मोहाण्ड के रास्ते रेत भरने परायच जा रहा था और उसके पीछे दूसरी गाड़ी क्रमांक यू.पी.25 एटी 2700 थी जिसे ड्रायवर चन्द्रसिंह चला रहा था और जैसे ही दोनों गाड़ी रात्रि 8:30 बजे मोहाण्ड से एक कि०मी० पहले आयी तथी दो मोटर सायकिलों पर सवार चार लोग पीछे से आये और कट्टे दिखाकर गाड़ी रूकवाने लगे तो फरियादी ने गाड़ी रोक दी और चारों लोग बोले कि उसके पास जो रुपये, सामान हो बाहर निकाल लो और उक्त बदमाशों में से दो बदमाश पीछे की गाड़ी के ड्रायवर चन्द्रसिंह से लूट का प्रयास करने

लगे तभी मॉर्निंग की जीप सायरन बजाते हुए आयी जिससे चारों बदमाश मौके पर दोनों मोटर सायकिलों को छोड़कर खेतों की तरफ पैदल भाग गये और भागते समय बदमाश मौके पर मोबाइल पड़ा छोड़ गये। चारों बदमाश पैट-शर्ट पहने थे और उनकी उम्र 20 से 25 साल होना बताते हुए बदमाशों द्वारा छोड़ी गयी मोटर सायकिल हीरो होण्डा पेशन क्रमांक यू.पी.80 एम.बी. 5100 एवं दूसरी मोटर सायकिल प्लेटीना क्रमांक एम.पी. 30 बी.ए. 7578 होने एवं मौके पर घटना, गाड़ी में बैठे क्लीनर भगवानसिंह व कुलदीप सिंह को देखना बताया है। तदनुसार फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना नयागांव द्वारा अपराध क्रमांक 60/11 अंतर्गत धारा 393 भा0द0सं0 सहपठित धारा 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट प्रदर्श पी-1 पंजीबद्ध किया जाकर बाद विवेचना अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्त सोनू पर भा.दं.वि. की धारा 393 /398 सहपठित धारा 34 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट विकल्प में धारा 395/398 भा.दं.वि एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट का आरोप लगाये जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया है। धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है एवं बचाव में उसकी ओर से किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(अ) क्या दिनांक 12-10-11 की रात 8:30 बजे मधूपुरा रोड मोहाण्ड से एक किलोमीटर आगे थाना नयागांव के डकैती प्रभावित क्षेत्र में, अभियुक्त सोनू ने अपने सह आरोपियों के साथ एकराय होकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में कट्टा दिखा कर रुपये और सामान को ट्रक चालक परिवादी दिलीप सिंह और उसके साथ चन्द्र सिंह से लूटने का प्रयास किया?

(ब) क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर कट्टा दिखाकर डकैती का प्रयत्न किया?

(स) निष्कर्ष ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

6. अभियोजन ने अपने समर्थन में दिलीपसिंह (अ0सा0-1), रिकू यादव (अ0सा0-2), राजेश (अ0सा0-3), उपेन्द्र (अ0सा0-4), चन्द्र सिंह (अ0सा0-5), सोनू (अ0सा0-6), बृजमोहन (अ0सा0-7) हरीराम दोहरे (अ0सा0-8) का परीक्षण कराया है। बचाव पक्ष की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।
7. अभियोजन का संपूर्ण मामला प्रथमतः निम्न स्वरूप की अभिसाक्ष्य पर आधारित है :-
 - अ. दिलीप सिंह (अ0सा0-1), चन्द्र सिंह (अ0सा0-5) फरियादी / आहत साक्षी।
 - ब. रिकू यादव (अ0सा0-2) जब्ती साक्षी, राजेश (अ0सा0-3) वाक्यांती साक्षी।
 - स. उपेन्द्र (अ0सा0-4), सोनू (अ0सा0-6), बृजमोहन (अ0सा0-7) घटनास्थल पर पहुंचने वाले साक्षी।
 - द. हरीराम दोहरे (अ0सा0-8) विवेचनाक्रम के साक्षी।
8. जहां तक अभियोजन का प्रश्न है, अभियोजन की ओर से फरियादी दिलीप सिंह (अ0सा0-1) का परीक्षण कराया है, जिसने अपने कथन में कहा है कि घटना दिनांक को वह ट्रक क्रमांक यू.पी.25 ए.टी.2700 नंबर के वाहन पर ड्रायवरी करता था और वह बकेवर होते हुए हनुमंत पुरा चौराहे से सरसई गांव की ओर आ रहा था। मोहाण्ड और सरसई के बीच में लोगों ने गाड़ी घेर ली थी। 5-6 लोग थे, रात्रि का समय था। मारपीट कर गाड़ी लूटने और 17000/-रुपये के लगभग रोकड़ को लूटना बताते हुए मारपीट कर भागना बताया है और उसी समय

नयागांव थाने की पुलिस को पहुंचना बताते हुए बदमाश मोटर सायकिल और अधिया लिये हुए थे। जिन लोगों ने उनकी मारपीट और लूटपाट की थी रात्रि का समय होने के कारण पहचान नहीं पाये थे और आज दिनांक को भी नहीं पहचानना बताते हुए पुलिस द्वारा पूछताछ कर बयान लेने और रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होने और नक्शामौका प्रदर्श पी-2 के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन की ओर से उसे पक्षविरोधी घोषित किया गया है और पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने प्रदर्श पी-3 के ए से ए भाग का कथन दिये जाने से इंकार किया है।

9. साक्षी रिकू यादव (अ0सा0-2), राजेश (अ0सा0-3), उपेन्द्र (अ0सा0-4), चन्द्रसिंह (अ0सा0-5), सोनू (अ0सा0-6), बृजमोहन (अ0सा0-7) भी पक्षविरोधी रहे हैं। उन्होंने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। साक्षी हरीराम दोहरे (अ0सा0-8) द्वारा अपने कथन में दिनांक 12-10-11 को थाना नयागांव में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी दिलीपसिंह के लिखाये जाने पर अज्ञात चार बदमाशों के विरुद्ध थाना नयागांव के अपराध क्रमांक 260/11 अंतर्गत धारा 393 भा0दं0सं0 एवं 11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट के तहत प्रदर्श पी-1 की लेखबद्ध करने और उसके बी से बी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होकर एफ.आई.आर. की प्रति संबंधित न्यायालय को जावक क्रमांक 1604/11 दिनांक 12-10-11 को भिजवाये जाने और दिनांक 13-10-11 को घटनास्थल पर पहुंचकर फरियादी दिलीपसिंह की निशादेही पर घटनास्थल का मानचित्र प्रदर्श पी-2 तैयार किये जाने और उसके बी से बी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होने एवं साक्षी रिकू यादव और चन्द्रसिंह के समक्ष एक हीरो होण्ड मोटर सायकिल क्रमांक यू.पी.80 ए.बी. 5100 और बजाज प्लेटीना मोटर सायकिल

रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी.30 बी.ए. 7570 और एक जिंदा कारतूस 315 बोर का, मोबाइल चायना जिसमें सिम क्रमांक 9977824694 टूटी हुई हालत में एक जूता रिलेक्स कंपनी का 8 नंबर पुराना इस्तेमाली जब्त कर जब्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 बनाये जाने और उसके बी से बी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताते हुए दिनांक 17-10-11 को साक्षी राजेश, रिकू के प्रदर्श पी-5 और 6 के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने एवं साक्षी दिलीपसिंह, चन्द्रसिंह के कथन भी लेखबद्ध करना बताया है।

10. साक्षी हरीराम दोहरे (अ0सा0-8) द्वारा आगे विवेचनाक्रम में अभियुक्त विजय सिंह, कल्लू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-11 और 12 तैयार किये जाने, ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होने और अभियुक्त विजयसिंह से पूछताछ के दौरान उसकी सूचना प्रदर्श पी-13 लेखबद्ध करने और ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है और इसी क्रम में अभियुक्त सोनू सिंह की फार्मल गिरफ्तारी प्रधान आरक्षक मुन्नीलाल मौर्य द्वारा किये जाने और प्रदर्श पी-14 के ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर होने और शेष विवेचना एसएचओ जी0एस0 मसकोले द्वारा किये जाने और साक्षी बृजमोहन, पुष्पेन्द्र, उपेन्द्र और सोनू के कथन उनके द्वारा लेख किया जाना बताया है। अन्य कोई साक्ष्य पुष्टिकारक इस बिन्दु पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है।
11. जहां तक अभियोजन का प्रश्न है, इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त कल्लू, नरेश, रामू एवं विजय के फरार घोषित हो जाने के उपरांत मात्र अभियुक्त सोनू के संबंध में विचारण शेष है। अभियोजन की ओर से जो प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रस्तुत की गयी है, उसमें अज्ञात चार बदमाश के नाम से रिपोर्ट अंकित की गयी है। इस संबंध में फरियादी /साक्षी दिलीपसिंह (अ0सा0-1) का कथन देखें तो उसने अपने

प्रतिपरीक्षण के पैरा-6 में स्वीकार किया है कि चन्द्रसिंह उसकी गाड़ी पर ड्रायवर नहीं था और पुलिस ने उसका कथन अंकित नहीं किया था एवं प्रदर्श पी-1 एवं 2 पर थाने पर हस्ताक्षर किये थे एवं प्रदर्श पी-1 एवं 2 में क्या लिखा है पुलिस ने उसे पढ़ने नहीं दिया था और न ही पढ़कर सुनाया था। इस प्रकार से परस्पर विरोधी स्थितियां इस बिन्दु पर प्रकट की गयी हैं। इस प्रकार से उक्त साक्षी जो कि फरियादी होकर चक्षुदर्शी भी है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन के क्रम में परस्पर विरोधी स्थितियां प्रकट की हैं। उसके कथन के पुष्टि प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 से नहीं हो रही है।

12. अन्य साक्ष्य को देखें तो साक्षी रिकू यादव (अ0सा0-2) द्वारा अपने कथन में अभियुक्तगण और फरियादी को जानने से इंकार किया है और उसके समक्ष किसी प्रकार की घटना होने से इंकार करते हुए प्रदर्श पी-4 के जब्ती पत्रक के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। उसे अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया गया है और पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने पुलिस कथन प्रदर्श पी-5 के ए से ए भाग का कथन देने से इंकार किया है। कमोवेश यही स्थिति साक्षी राजेश(अ0सा0-3), उपेन्द्र (अ0सा0-4), सोनू (अ0सा0-6), बृजमोहन (अ0सा0-7) की रही है, वह भी पक्षविरोधी होकर स्पष्ट रूप से अभियोजन का समर्थन नहीं कर रहे हैं।
13. साक्षी चन्द्रसिंह (अ0सा0-5) द्वारा अपने कथन में घटना समय पर वह ट्रक चलाता था और घटना बल्लू की गढ़िया के पास होकर तीन बदमाशों ने उसके आगे वाला ट्रक लूट लिया था और वह ट्रक से कूदकर भाग गया था इस कारण से उसे पता नहीं है कि ट्रक लूटा गया या नहीं और पुलिस थाने ले गयी थी और उसका पता पूछना बताया है। उसे भी अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया

गया है पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर पुलिस कथन प्रदर्श पी-8 के ए से ए भाग का कथन देने से इंकार किया है। इस प्रकार से उक्त साक्षीगण के कथनों में अभियोजन कथानक जिस प्रकार का बताया गया है, उसके संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभास उत्पन्न हुआ है जो कि मामले की जड़ तक जाता है।

14. जहां तक उप निरीक्षक हरीराम दोहरे (अ0सा0-8) की साक्ष्य का प्रश्न है। उक्त साक्षी द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख करने से लेकर विवेचना कार्य किया है, ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा-6 में स्वीकार किया है कि एफ.आई.आर. की काउण्टर प्रति न्यायालय में कब प्राप्त हुई जानकारी नहीं है एवं नक्शामौका में पैरों के निशान मिले इस बात का उल्लेख नहीं किया है एवं पैरा-7 में यह स्वीकार किया है कि नक्शामौका बनाते समय मौके पर मोटर सायकिल होने के संबंध में उल्लेख नहीं किया है एवं पैरा-9 में यह स्वीकार किया है कि एफ. आई.आर. में रोजनामचा सान्हा का कॉलम खाली है और यह भी स्वीकार किया है कि एफ.आई.आर. में फरियादी ने अभियुक्तगण के नाम नहीं लिखाये थे और उसने घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ नहीं की थी एवं उनके कथन 20 तारीख को लिये थे, 12 तारीख को कथन न लेने का कोई कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार से परस्पर विरोधी कथन उक्त साक्षी द्वारा विवेचनाक्रम में की गयी कार्यवाही के संबंध में दिये हैं। अतः उक्त विवेचक साक्षी द्वारा उक्त विवेचना क्रम में की गयी कार्यवाही उपरोक्त विरोधाभासों के चलते युक्ति-युक्त शंका और संदेह से परे प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है और न ही उसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
15. जहां तक आरोपी सोनू का प्रश्न है, उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के दौरान कहा है कि मामले में फरियादी की साक्ष्य परस्पर

विरोधाभास से युक्त है एवं जिन साक्षियों के समक्ष घटना होना बतायी गई है उनके द्वारा परस्पर विरोधी स्थितियां प्रकट की गयी हैं एवं जिस अभियुक्त के संबंध में विचार किया जा रहा है उसके विरुद्ध स्पष्ट साक्ष्य का अभाव रहा है एवं विवेचक द्वारा भी अपने कथन में परस्पर विरोधी स्थितियां प्रकट की है एवं हितबद्ध होकर रंजिश के चलते झूठे फंसाये जाने की संभावना होना बताते हुये दोषमुक्ति की प्रार्थना की है।

16. यद्यपि एकल साक्षी की अभिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जा सकता है लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसे साक्षी की अभिसाक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय होनी चाहिये। यहां इस विधिक स्थिति का उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि किसी साक्षी की अभिसाक्ष्य को मात्र इस आधार पर यांत्रिक तरीके से अविश्वसनीय ठहराकर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि स्वतंत्र स्रोत से उसकी साक्ष्य की संपुष्टि नहीं है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संपुष्टि का नियम सावधानी एवं प्रज्ञा का नियम है, विधि का नियम नहीं है। जहां किसी साक्षी की अभिसाक्ष्य विश्लेषण एवं परीक्षण के पश्चात् विश्वसनीय है, वहां उसके आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित करने में कोई अवैधानिकता नहीं हो सकती है। इस क्रम में न्याय दृष्टांत लालू माझी विरुद्ध झारखण्ड राज्य(2003) 2 एस.सी.सी. 401, उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध अनिल सिंह ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 1998 तथा वादी वेलू थिवार विरुद्ध मद्रास राज्य ए.आई.आर. 1957 एस.सी.-614 में किये गये विधिक प्रतिपादन सुसंगत एवं अवलोकनीय हैं।

17. वर्तमान मामले में दिलीपसिंह (अ0सा0-1), चन्द्रसिंह (अ0सा0-5) की अभिसाक्ष्य उक्त कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तथा अन्य साक्षी रिकू यादव (अ0सा0-2), राजेश (अ0सा0-3), उपेन्द्र (अ0सा0-4), सोनू (अ0सा0-6), बृजमोहन (अ0सा0-7) पक्षविरोधी होकर उन्होंने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है एवं अन्य साक्षी विवेचना अधिकारी हरीराम

दोहरे (अ0सा0-8) द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में परस्पर विरोधी स्थितियां प्रकट की गयी हैं एवं अन्य कोई पुष्टिकारक अभिसाक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अतः उक्त अभिसाक्ष्य के आधार पर उपरोक्त दर्शित विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

18. इस प्रकार उपरोक्त वर्णित साक्ष्य विवेचन के आधार पर इस न्यायालय को यह निष्कर्ष लेख करने में किसी भी प्रकार का संकोच उत्पन्न नहीं होता कि दर्शाये गये कारणों के कारण अभियोजन पक्ष द्वारा बतायी जा रही घटना और उसके कारण पूर्णतः संदेहजनक हैं। अभियोजन का मामला न केवल अभियोग पत्र के साथ संलग्न प्रलेखों के अनुसार अपितु साक्षियों के न्यायालयीन कथनों से भी महत्वपूर्ण और तात्विक तथ्यों पर विरोधाभासी है जिस कारण दोषसिद्धि निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये ऐसी साक्ष्य रंच मात्र विश्वास योग्य नहीं है और इस न्यायालय का पूर्णतः समर्थन इस बात पर हो गया है कि साक्ष्य की सम्यक विवेचना और सुस्थापित विधि के सिद्धांत के आलोक में दोषमुक्ति के अतिरिक्त कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है।
19. अतः युक्ति-युक्त शंका एवं संदेह के पर यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि अभिकथित दिनांक 12-10-2011 को रात्रि के 8:30 बजे या उसके लगभग मधूपुरा रोड मोहाण्ड भिण्ड में, जो एम0पी0डी0 व्ही0पी0के0 एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित है, अभियुक्त सोनू ने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ फरियादी दिलीपसिंह और साथी चन्द्रसिंह को कट्टा दिखाकर रुपये और सामान लूटने का प्रयत्न किया।
20. अभियुक्त के आधिपत्य से कोई जब्ती नहीं हुई एवं विधिवत् मामला प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसी दशा में अभियोजित अपराध के साथ संबंध स्थापित करने वाली प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक साक्ष्य का अभिलेख

पर अभाव है, ऐसी दशा में अभियुक्त की प्रश्नगत अपराध में संलिप्तता संदेह से परे स्थापित नहीं होती है।

21. परिणामस्वरूप अभियुक्त सोनू को संहिता की धारा 393/398 सह पठित 34 धारा 11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट विकल्प में धारा 395/398 भा0दं0सं0 तथा 11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
22. अभियुक्त कल्लू, नरेश, रामू, विजय फरार हैं। फलतः अभिलेख एवं मुद्देमाल सुरक्षित रखे जाने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अंकित की जावे।
23. प्रकरण में अभियुक्त सोनू न्यायिक अभिरक्षा में भिण्ड जेल से प्रस्तुत किया गया है उसके जेल वारंट पर नोट अंकित किया जावे कि इस मामले में उसे दोषमुक्त किया गया है।
24. निर्णय की प्रतिलिपि नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर प्रेषित की जावे।
25. प्रकरण के अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा विताई गई निरोध की अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण-पत्र तैयार कर अभिलेख में संलग्न किया जावे।

दिनांक : 17-01-2018

स्थान : सिविल न्यायालय, भिण्ड मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही/—

(डॉ0 कुलदीप जैन)

विशेष न्यायाधीश (डकैती) क्षेत्र क्रं.-1

भिण्ड (म.प्र.)

निर्णय आज दिनांक 17-01-2018
जाकर सुनाया गया।

को खुले न्यायालय में लिखाया

सही/—

(डॉ0 कुलदीप जैन)

विशेष न्यायाधीश (डकैती) क्षेत्र क्रं.-1

भिण्ड (म.प्र.)